कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री हिमांशु कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री पारले बिस्कुट प्रा0 लि0, 54-ए, दादा नगर, कानपुर ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**52 / 10**
प्रार्थी की ओर से	**श्री नरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-52 / 10, दिनांक 31.05.10 प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उनकी कम्पनी की बिस्कुट निर्माण की इकाई कानपुर में स्थित है तथा सुगर निर्माण की इकाई बहराइच में स्थित है जहॉं से निर्मित सुगर बिस्कुट इकाई को ट्रान्सफर की जाती है तथा चीनी का उपयोग बिस्कुट निर्माता इकाई में किया जाता है । इसलिए उनके द्वारा पूछा गया है कि :-

क्या सुगर निर्माता इकाई द्वारा निर्मित चीनी पर उनकी प्रवेश कर की देयता है ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई पर श्री नरेन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 (1) के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के बाहर से स्थानीय क्षेत्र में, माल के उपभोग, प्रयोग या बिक्री हेतु प्रवेश की दशा में प्रवेश कर की देयता है । जहॉं तक चीनी के निर्माता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रवेश कर की देयता अधिनियम की धारा-12 में प्राविधानित है । अधिनियम की धारा-12 के अनुसार चीनी निर्माता कम्पनी पर प्रवेश कर की देयता नहीं है, बल्कि निर्माता को क्रेता से चीनी की डिलीवरी देने के पूर्व प्रवेश कर प्राप्त करके जमा करने का प्राविधान है । कम्पनी जब चीनी की बिक्री करती है उस दशा में वह चीनी की निर्माता है । परन्तु चीनी की निर्माण इकाई तथा बिस्कुट की इकाई एक ही कम्पनी द्वारा owned है इसलिए कम्पनी द्वारा बहराइच से कानपुर चीनी ट्रान्सफर द्वारा लाये जाने की दशा में न तो वह " डीलर " है और न ही निर्माता है । प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्माता को परिभाषित नहीं किया गया है । धारा-2 में यह उल्लेख है कि जो words and expressions प्रवेश कर में परिभाषित नहीं है उनको वैट अधिनियम में परिभाषा के अनुसार माना जायेगा । वैट अधिनियम की धारा-2 (u) में " निर्माता " को परिभाषित किया गया है। कम्पनी बहराइच में भले ही चीनी का निर्माण करती है, लेकिन उसके द्वारा प्रदेश में चीनी की प्रथम बिक्री नहीं की जाती है इसलिए निर्माता की परिभाषा में नहीं आती है । इसलिए प्रवेश कर अधिनियम की धारा-12 कम्पनी पर लागू नहीं होती है ।

प्रवेश कर अधिनियम की धारा-4 (3) के अनुसार प्रवेश कर की देयता उस डीलर पर है जो स्थानीय क्षेत्र में माल ले आता है । कम्पनी जो कि बहराइच में चीनी का निर्माण करती हैवह डीलर की परिभाषा में नहीं आती है । चीनी के व्यापार के लिए कम्पनी कानपुर चीनी नहीं ले आती है इसलिए कम्पनी द्वारा कानपुर लाई गयी चीनी in the course of business के अन्तर्गत नहीं आती है । उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मेसर्स Hansraj & Sons vs. State of Jammu & Kashmir (2002) 6, SCC, 227 एवं Commissioner of wealth

......2

tax vs. Ellis Bridge Gyamkhand (1998) 1, SCC 384 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि किसी व्यक्ति पर कर आरोपित करते समय यह आवश्यक है कि वह चार्जिंग सेक्शन के अन्तर्गत आता है। जिस वस्तु पर प्रवेश कर आरोपणीय है उस वस्तु के व्यापार में डीलर होना आवश्यक है।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम कानपुर के पत्र संख्या-1306, दिनांक 07.07.10 एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (क0 नि0) कारपोरेट सर्किल (प्रथम) वाणिज्य कर, कानपुर के पत्रांक-102, दिनांक 02.07.10 द्वारा आख्या प्राप्त हुई है जिसके अनुसार व्यापारी द्वारा यू0 पी0 अन्दर सर्वश्री पारले बिस्कुट कम्पनी प्रा0 लि0 सुगर डिवीजन बहराइच के नाम से एक निर्माण इकाई स्थापित की गयी है जिसमें इस कम्पनी द्वारा सुगर का निर्माण करते हुए यू0 पी0 अन्दर कानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, नोएडा तथा चन्दौली जिले में स्थित संविदा के आधार पर बिस्कुट का निर्माण करने वाली इकाइयों में उपयोग, उपभोग हेतु सुगर प्रेषित की जाती है। नान लेवी सुगर की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न इकाइयों में समय पर उपलब्ध कराने हेतु इनके द्वारा सर्वश्री पारले बिस्कुट प्रा0 लि0 सुगर गोडाउन के नाम से कानपुर देहात में एक गोदाम बनाया गया है जहॉ पर बहराइच निर्माण इकाई से सुगर लाकर स्टोर किया जाता है। आगे कहा है कि प्रवेश कर अधिनियम की धारा-4 (3) के अनुसार यदि कोई व्यापारी स्वयं ही अपने माल का दूसरे लोकल एरिया में उपयोग, उपभोग या वहीं से बिक्री के लिए प्रवेश कराता है तो प्रवेश कर की देयता उसी की होगी। अत: यदि सुगर मिल भी अपने माल का किसी दूसरे लोकल एरिया में उपयोग, उपभोग या वहीं से बिक्री के लिए प्रवेश कराती है तो प्रवेश कर की देयता उस चीनी मिल की ही होगी। अग्रेतर यह कहा गया है कि व्यापारी सुगर के निर्माता हैं तथा वे वैट अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित विनिर्माण की श्रेणी में आते हैं। प्रवेश कर अधिनियम के चार्जिंग सेक्शन-4 (3) के अनुसार स्वनिर्मित नानलेवी सुगर की उन्हीं की इकाई द्वारा अन्य लोकल एरिया में उपयोग, उपभोग हेतु प्रवेश कराये जाने के कारण उन पर प्रवेश कर की देयता है क्योंकि प्रश्नगत मामले में मैन्यूफैक्चरर एव उपभोग करने वाला दोनों एक ही है परन्तु दोनों अन्य स्थानीय एरिया में स्थित है। प्रवेश कर का दायित्व बिक्री पर नहीं बल्कि एक स्थानीय एरिया से दूसरे स्थानीय एरिया में उपयोग, उपभोग अथवा बिक्री हेतु प्रवेश कराये जाने पर होता है। व्यापार व व्यापारी की परिभाषा का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि व्यापारी प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत बिजनेस करते हुए डीलर की श्रेणी में आते हैं तथा उत्पादन करने के कारण उत्पादन कर्ता हैं। अन्त में कहा गया है कि अपने ही उपयोग हेतु अपनी निर्माण इकाइयों में ट्रान्सफर के उपरान्त उपभोग व उपयोग हेतु नानलेवी सुगर अन्य स्थानीय एरिया में ले जाने के कारण व्यापारी पर प्रवेश कर की देयता है तथा उनके द्वारा प्रवेश कर का दायित्व स्वीकार करते हुए प्रवेश कर जमा भी किया जा रहा है।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (टी व 2 (यू) के अनुसार कम्पनी विनिर्माता है और उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा-2 (ख) के अन्तर्गत कम्पनी व्यापारी भी है क्योंकि माल का एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश स्वयं

....3

द्वारा कराया जाता है । अतः उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा-4 (3) के अनुसार प्रवेश कर का दायित्व व्यापारी का है ।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा-2 (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन Words and expressions इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है उनको उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 से पढ़ा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (टी) एण्ड 2 (यू) के अन्तर्गत क्रमशः मैन्यूफैक्चर एवं मैन्यूफैक्चरर को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

" manufacture " means producing, making, mining, collecting, extracting, mixing, blending, altering, ornamenting, finishing, or otherwise processing, treating or adapting any goods; but does not include such manufacture or manufacturing processes as may be prescribed ;

" manufacturer " in relation to any goods mentioned or described in column (2) of Schedule IV of this Act, means a dealer who, byapplication of any process of manufacture, after manufacture of a new commercial commodity inside the State, makes first sale of such new commercial commodity within the State, whether directly or otherwise; and includes a selling agent who makes sale of such new commodity on behalf of the person who has manufactured it ;

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मैन्यूफैक्चरर की परिभाषा में मैन्यूफैक्चर का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार व्यापारी द्वारा अपनी सुगर इकाई में जो निर्माण किया जाता है उसके लिए वह सुगर के विनिर्माता हैं ।

उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2 (ख) के अनुसार व्यापारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापार के दौरान, चाहे अपने वास्ते या किसी मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने का हकदार है ।

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार कम्पनी व्यापारी की श्रेणी में आती है ।

उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा-4 (1) तथा 4 (3) निम्नवत है :-

धारा-4- (1) राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय कर उद्ग्रहण क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल के उसी क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के लिए प्रवेश पर माल के मूल्य के 5% से अनधिक ऐसी दर पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और भिन्न-भिन्न माल की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट (specified) की जा सकती है ।

धारा-4 (3) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर ऐसे व्यापारी द्वारा, जो ऐसे माल को चाहे अपने वास्ते या अपने मालिक के वास्ते स्थानीय क्षेत्र में लाता है या मँगवाता है या स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर

...4

ऐसे माल का परिदान प्राप्त करे या परिदान (delivery) प्राप्त करने का हकदार हो, देय होगा।

नानलेवी सुगर पर दिनांक 01.09.2000 से 2% की दर से प्रवेश कर की देयता अवधारित की गयी है। स्वीकारतः कम्पनी द्वारा बहराइच स्थित सुगर निर्माता इकाई से नानलेवी सुगर अन्य स्थानीय एरिया कानपुर उपयोग हेतु लायी गयी है। नानलेवी सुगर का बहराइच में निर्माण के उपरान्त स्वयं ही कम्पनी द्वारा भिन्न लोकल एरिया में प्रवेश कराया गया है तथा ऐसी चीनी का उपभोग बिस्कुट निर्माता इकाइयों में किया गया है। अतः प्रवेश कर अधिनियम की धारा-4 (3) के अनुसार कम्पनी पर प्रवेश कर की देयता है। प्रवेश कर अधिनियम के चार्जिंग सेक्शन-4 (3) के अनुसार व्यापारी पर स्पष्ट रूप से प्रवेश कर की देयता बनती है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय व्यापारी के मामले में लागू नहीं होते हैं। फलस्वरूप बहराइच इकाई में सुगर का निर्माण करके अन्य स्थानीय क्षेत्र में स्थित बिस्कुट निर्माता इकाइयों में उपभोग हेतु ट्रान्सफर करके लायी गयी नानलेवी सुगर पर व्यापारी की प्रवेश कर की देयता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 सितम्बर, 2012

ह0 / 07.09.2011

(हिमांशु कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।